



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनीपार्क नगर निगम जयपुर, हैरिटेज।

क्रमांक: अग्निशमन./न.नि.ज.हैरिटेज/23-24/876

दिनांक 10/11/2023

किरण कविया,
पुत्री श्री माधोसिंह,
सचिव किरण ज्योति सामाजिक विकास एवं शिक्षण संस्थान,
निवासी 6/332 विद्याधर नगर जयपुर।

विषय :- अग्निशमन यंत्र/उपकरण का निरीक्षण एवं अग्निशमन की दृष्टि से अभिशांषा पत्र जारी किये जाने बाबत।

वैधता :- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 04.10.2024 तक वैध है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल भूखण्ड संख्या 1167 ग्राम दौलतपुरा तहसील आमेर, जयपुर में निर्मित ग्रीन टर्टल स्कूल का वार्षिक नवीनीकरण किये जाने हेतु अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण श्री शुभम शर्मा सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान आवेदित स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये। अग्निशमन यंत्र/उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया व फायर के प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। भविष्य में आवेदित स्थल पर रूफटोप रेस्टोरेन्ट का निर्माण कर उपयोग नहीं किया जावेगा। अगर अन्य किसी फर्म को बेचान या लीज पर दिये जावे तो उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् की अग्रिम कार्यवाही की जावे। अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। अग्निशमन यंत्रों को चलाये जाने हेतु एक फायर का प्रशिक्षित कर्मचारी हर समय रखा जाना आवश्यक होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 पार्ट 4 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 की शर्तों की पालना अनिवार्य होगी। इस विभाग द्वारा पूर्व जारी किए गए दिनांक पत्रांक एफ.9 () आ. फा./न.नि.ज./18/2653 दिनांक 09.10.2018 में अंकित शर्तें यथावत रहेगी।

यह अभिशांषा पत्र पूर्व में जारी किये गए अभिशांषा पत्र की तिथि से दिनांक 04.10.2024 तक नवीनीकृत किया जाता है।

(देवेन्द्र कुमार पीता)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज